# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–011/2024

नोरंगराम पुत्र प्रेमराज जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। – – अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण:–

1. श्री महेश गौड़ अधिवक्ता – –प्रार्थी
2. राजपैरोकार अधिवक्ता – –अप्रार्थीगण

## निर्णय

दिनांक :–22.02.2024

प्रार्थी नोरंगराम ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि प्रार्थी के नाम चक नम्बर 8 जी.जी.आर. खाता संख्या 213/208 पत्थर नम्बर 201/285(48) किला नम्बर 9/6/0.035 हैक्टर, पत्थर नम्बर 202/285(49) किला नम्बर 18, 19, 22, 23, 24/1.265 हैक्टर, कुल 1.300 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थी को कृषि भूमि में समय–समय अनुसार आने जाने के लिये आवश्यकता अनुसार रास्ता मन्जूर किया जाता है। इसी अनुकूल निवेदित है कि मौजूदा सूरत में प्रार्थी की कृषि भूमि मे से जो रास्ता चक 8 जीत्र.जी.आर. पत्थर नम्बर 20/285(49) किला नम्बर 18 में से उत्तरी दिशा में 62.5 फुट छोड़कर मध्य में 40 फुट चौड़ा व 160 फुट लम्बा पश्चिम से पूर्व की ओर तथा किला नम्बर 19 में से उत्तरी दिशा की ओर से 62.5 फुट छोड़कर मध्य में 40 फुट चोड़ा व 165 फुट लम्बा पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता मोके पर चला आ रहा है, जो प्रार्थी के लिए उपयोगी व सुविधाजनक है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित ना होने के कारण अधिकृत रास्ता की श्रेणी में नही आता है इस स्थिति में प्रार्थी उक्त किला [illegible] 19 के उक्त वर्णित किलो में रास्ता मन्जूर करवाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तह[illegible] है व अन्दर मियाद तथा समायत अदालत हाजा के है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि चक नम्बर 8 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 202/285(49) किला नम्बर 18 में उत्तरी दिशा में 62.5 फुट छोड़कर मध्य में 40 फुट चौड़ा व 160 फुट लम्बा पश्चिम से पूर्व की ओर (0.059 हैक्टर) तथा किला नम्बर 19 में उत्तरी दिशा की ओर से 62.5 फुट छोड़कर मध्य में 40 फुट चोड़ा व 165 फुट लम्बा पश्चिम से पूर्व की ओर (0.061 हैक्टर), रास्ता मन्जूर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिश्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक नम्बर 8 जी.जी.आर. खाता संख्या 213/208 पत्थर नम्बर 201/285(48) किला नम्बर 9/6/0.035 हैक्टर, पत्थर नम्बर 202/285(49) किला नम्बर 18, 19, 22, 23, 24/1.265 हैक्टर, कुल 1.300 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थी द्वारा पत्थर नम्बर 202/285(49) के किला नम्बर 18 व 19 का बेचान रास्ते के रूप में प्रस्तावित भूमि के अलावा कर दिया गया है परन्तु प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के किला नम्बर में 23 में कृषि कार्य करने, सिंचाई आदि हेतु आवागमन करने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जबाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**क्रियात्मक आदेश**

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाव प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रा[illegible] स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक नम्बर 8 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 202/285(49) किला नम्बर 19 के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर 40 फुट चौड़ा व 165 लम्बा (0.0610 हैक्टर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व किला नम्बर 18 के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर 40 फुट चौड़ा व 160 लम्बा (0.0590 हैक्टर) रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:12:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner